अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) विनियम, 2009, में मंशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् : :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक (बोर्ड की बैठकें) विनियम, 2009, के विनियम 7 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामन् ::—

"7. व्याख्या.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।''।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-Ш/4/असः:/188/14]

पाद टिप्प्णी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 731(अ), दिनांक 26-11-2007 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे एवं सा.का.नि. 477(अ), दिनांक 7-6-2010 तथा फा. सं. लीगल/50/2013, दिनांक 21-6-2013 के माध्यम से संशोधित हुए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/I/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meetings of the Board) Regulations, 2007, namely:-

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meetings of the Board) Amendment Regulations, 2014 namely:—
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. For regulation 7 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meetings of the Board) Regulations, 2007. the following shall be substituted, namely:—
 - "7. Interpretation.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.".

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT III/4/Fxty /188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified vide G.S.R. 731(E), dated 26-11-2007 and amended vide G.S.R. 477(E), dated 7-6-2010 and F. No. Legal/50/2013, dated 21-06-2013.